रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 325] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 1975/अग्रहायण 10, 1897
No. 325] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 1975/AGRAHAYNA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st December 1975

G.S.R. 577(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts single super phosphate falling under Item No. 14HH of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable, thereon as is in excess of seven and a half per cent *ad valorem*.

[No. 234/75]

P. N. MALHOTRA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1975

सा०का०नि० 577(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक

अधिनियम, (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 14जज के अधीन सम्मिलित सिंगिल सुपर फास्फेटों को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जो मूल्यानुसार साढ़े सात प्रतिशत से आधिक्य में हो।

[234/75]

प्रा० ना० मल्होत्रा, अवर सचिव।

CUSTOMS

New Delhi, the 1st December 1975

G.S.R. 578(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 81-Customs, dated the 28th April, 1969, namely:—

In the said notification for the figures and words "30 per cent *ad valorem*", the figures and words "15 per cent *ad valorem*" shall be substituted.

[No. 101/F. No. 355/100/75-Cus.I.]

D. C. MANDAL, Under Secy.

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1975

सा० का० नि० 578 (**अ**).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 81–सीमा-शुल्क, तारीख 28 अप्रैल, 1969 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "30 प्रति शत मूल्यानुसार" अंकों और शब्दों के स्थान पर "15 प्रतिशत मूल्यानुसार" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[101/फा० सं० 355/100/75-सीमा० I]

डी० सी० मन्डल, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975